न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2020

अपीलांट

द्रोपाकंवर पुत्री सोनसिंह के का.मु.

1/1 श्री भीमसिंह पुत्र विजयसिंह
1/2 बलवंतसिंह पुत्र विजयसिंह
1/3 उदयसिंह पुत्र विजयसिंह
1/4 छगन कंवर पुत्री विजयसिंह
1/5 कोकू कंवर पुत्री विजयसिंह
1/6 मीराकंवर पुत्री विजयसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासी तमाम निवासीयान जुंजाणी, तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मफरी कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, निवासी झूंझाणी, तहसील भीनमाल, जिला जालोर।
2. सती कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह, पत्नी किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी झूंझाणी हाल राह, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
3. भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर।

प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट

1. जडावकंवर पुत्री सोनसिंह, पत्नी पूरसिंह जाति राजपूत, निवासी झूंझाणी, हाल सुराणा, तहसील सायला।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री पारसमल बराडा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व परर्फोमा रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा झूंझाणी के वर्तमान खसरा नंबर 20, 1804, 1807, 1808 व 1809 कुल रकबा 6.82 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अपने हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट परर्फोमा जडावकंवर सोनसिंह पुत्र नाथुसिंह की जाईन्दा पुत्रियां है। वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट में अपीलांट के पिता सोनसिंह के नाम दर्ज थी। सोनसिंह की मृत्यु के पश्चात अपीलांट व परर्फोमा रैस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर सोनसिंह के कायम मुकाम वारिसान बहैसियत हिन्दु उतराधिकार अधिनिमयम के प्रावधानो के तहत मौके पर काबिज काश्त हो गये। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है। अपीलांट व परर्फोमा रेस्पोडेन्ट के पिता सोनसिंह पुत्र नाथुसिंह की मृत्यु होने पर राजस्व अभिलेख में म्यूटेशन खोला गया, जिसमे रेस्पोडेन्ट के पिता व पति लक्ष्मणसिंह का अकेले का नाम दर्ज किया गया, जबकि अपीलांट व परर्फोमा रेस्पोडेन्ट सोनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान मौजूद थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से प्रस्तुत पी डब्लयू 1 जडाव कंवर व पी डब्लयू 2 द्रोपाकंवर, पी डब्लयू 3 मुकन कंवर व पी डब्लयू 4 बलवंतसिंह व पी डब्लयू 5 किशोरसिंह की साक्ष्य पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अभिवचनो के आधार पर पांच तनकियां कायम की गई, किन्तु दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तनकीयात का विवेचन नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है, जिस पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत जन्म सिद्ध अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया अपीलांट व परर्फोमा रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा झूंझाणी के वर्तमान खसरा नंबर 20, 1804, 1807, 1808 व 1809 कुल रकबा 6.82 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अपने हिस्से अनुसार

एवं वह अपने ससुराल में रह रही थी। सन 2005 में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे संशोधन से पूर्व पुत्रियो का पैतृक सम्पति में कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट व परर्फोमा रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा झूंझाणी के वर्तमान खसरा नंबर 20, 1804, 1807, 1808 व 1809 कुल रकबा 6.82 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अपने हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण की पुश्तैनी आराजी है एवं अपीलांट मृतक द्रोपाकंवर एवं जडावकंवर सोनसिंह की जायंदा पुत्रियां होने के नाते हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक अधिकार उत्पन्न हो जाते है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विनिर्णय RLW 2018 (1) पेज नंबर 460 सुमन सुरपुर बनाम अमर व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 धारा 6 और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2005 धारा 6 (यथा संशोधित) – क्या पुत्रियो को अपने हिस्से से इस आधार पर इंकार किया जा सकता है कि उनका जन्म इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व हुआ था अतः उन्हे सहदायिकी नहीं माना जा सकता ? – या क्या हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005, के पारित होने से अपीलार्थीगण ठीक उसी तरह से अपने स्वंय के अधिकार से जन्म से सहदायिक बन जायेगे, जैसे पुत्र होता है अतः वे समान हिस्से के हकदार है जैसे एक पुत्र का होता है ? अभिनिर्धारित – संशोधित धारा 6 यह विनिर्दिष्ट करती है कि 2005 के अधिनियम के आरम्भ पर और से एक सहदायिक की पुत्री अपने स्वंय के अधिकार से जन्म से सहदायिक होगी ठीक उसी तरह से जैसे एक पुत्र होता है – धारा 6 (1)(क) और (ख) के अनुसार सहदायिको के अधिकार जन्म से (अब पुत्रियो सहित) उत्पन्न एवं प्रवाहित होते है।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पूर्व में सोनसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी एवं सानेसिंह के जायन्दा पुत्र लक्ष्मण एवं जायंदा पुत्रियां मृतक अपीलांट द्रोपाकंवर एवं प्रर्फोमा पक्षकार जडावकंवर हुई, किन्तु सोनसिंह के देहान्त के पश्चात

01/2020

द्रोपाकंवर के का.मु. भीमसिंह वगैरह बनाम मफरी देवी वगैरह

पेज संख्या 4/4

पक्षकार जडावकंवर द्वारा प्रस्तुत वाद उक्त पक्षकारान का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा न होने का हवाला देते हुए खारिज किया है, जबकि पुश्तैनी आराजी पर कब्जे के संबध में कोई कानून लागू नहीं होता है। पुश्तैनी आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। हस्तगत प्रकरण में मृतक अपीलांट द्रोपाकंवर एवं प्रर्फोमा पक्षकार जडावकंवर सोनसिंह की जायंदा पुत्रियां है एवं जायंदा पुत्रियां होने के नाते वादग्रस्त आराजी में इनका जन्म से हक अधिकार निहित हो जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो को अनदेखा करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट प्रर्फोमा पक्षकार जडाव कंवर को मृतक सोनसिंह की खातेदारी आराजी में से 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। रेस्पोडेन्ट का पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

01/2020

द्रोपाकंवर के का.मु. भीमसिंह वगैरह बनाम मफरी देवी वगैरह

पेज संख्या 05

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2020

अपीलांट

द्रोपाकंवर पुत्री सोनसिंह के का.मु.

1/1 श्री भीमसिंह पुत्र विजयसिंह
1/2 बलवंतसिंह पुत्र विजयसिंह
1/3 उदयसिंह पुत्र विजयसिंह
1/4 छगन कंवर पुत्री विजयसिंह
1/5 कोकू कंवर पुत्री विजयसिंह
1/6 मीराकंवर पुत्री विजयसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासी तमाम निवासीयान जुंजाणी, तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मफरी कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, निवासी झूंझाणी, तहसील भीनमाल, जिला जालोर।
2. सती कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह, पत्नी किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी झूंझाणी हाल राह, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
3. भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर।

प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट

1. जडावकंवर पुत्री सोनसिंह, पत्नी पूरसिंह जाति राजपूत, निवासी झूंझाणी, हाल सुराणा, तहसील सायला।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

01/2020

द्रोपाकंवर के का.मु. भीमसिंह वगैरह बनाम मफरी देवी वगैरह

पेज संख्या 06

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट प्रर्फोमा पक्षकार जडाव कंवर को मृतक सोनसिंह की खातेदारी आराजी में से 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। रेस्पोडेन्ट का पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नागिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली